अपील रसद प्रकरण संख्या 06/2022 (RCMS 2022/110) अनवान् बलवन्त पुत्र साहबराम जाति नायक उम्र 33 वर्ष निवासी न क्यू ग्राम पंचायत 11 क्यू बखताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए किन्तु उनके द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की हुई है, जो शामिल पत्रावली हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :

अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान पोस मशीन 30842, ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में प्रस्तुत शिकायत पर क्रमांक 5996–6000 दिनांक 20.10.2021 से **उनका प्राधिकार आगामी आदेश तक निलम्बित कर नोटिस दिनांक 10.11.2021 को जारी किया गया तथा प्रार्थी ने इसका जवाब दिनांक 25.11.2021 को प्रस्तुत किया।** राशन कार्ड संख्या 006439000102 के मुखिया मोमनराम की मृत्यु दिनांक 10.09.2013 को होने और पोस मशीन 30842 से उक्त राशनकार्ड पर दिनांक 20.02.2020 को 10 किलो अतिरिक्त गेंहू दिनांक 13.05.2020 को 10 किलो अतिरिक्त गेंहू व 1 किलो दाल दिनांक 13.05.2020 व दिनांक 03.04.2020 को 10 किलो गेंहू इस प्रकार कुल 40 किलो गेंहू व 1 किलो दाल का वितरण किया गया। मार्च 2020 में कोविड महामारी के प्रकोप के कारण आमजन हित में राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई थी और छूट के तहत ही गेंहू व राशन वितरण किया गया है परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलाधीन आदेश से अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिनांक 28.03.2022 को प्रस्तुत कर दिया था और जवाब में कार्बन प्रति पत्र जवाब प्रस्तुत करने की प्राप्ति दर्ज करवा ली थी परन्तु **अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने का तथ्य गलत दर्ज कर अपीलांट के जवाब पर गौर न कर आदेश दिया है, वह निरस्त करने योग्य है। अपलीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र बहाल न कर तुरन्त प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया है** और प्रतिभूमि राशि का समपहरण कर अपीलार्थी से 1140/— रूपये वसूली करने के आदेश दिये है वह निरस्त होने योग्य है इस आदेश से अपीलार्थी व्यथित होने से अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन था कि अपीलार्थी के पोस मशीन —30842 से माह फरवरी 2020 से मई 2020 तक 40 किलो गेहूं व 1 किलो दाल का वितरण करना दर्शाया है। इसके जवाब में अपीलार्थी ने कथन किया था कि दिनांक 20.02.2020 से पोस मशीन 30842 से कोई लेन देन नहीं किया गया और 20.02.2020 को जिले में जो भी पोस मशीन से लेन देन हुआ उसकी रिकॉर्ड कॉपी संलग्न जवाब है। दिनांक

उनका आगे यह भी कथन था कि दिनांक 03.04.2020 व 13.05.2020 को जो लेन देन रिकॉर्ड दिखाकर गेहूं व दाल देने का आरोप है वह गलत है। दिनांक 02.04.2020 को रसद विभाग, जयुपर द्वारा पोस मशीनों में कोविड—19 की गाईडलाईन के अनुसार ओ.टी.पी. प्राप्त होने, ओ.टी.पी. प्राप्त होने व लाभार्थी का मोबाईल नम्बर नहीं होने, लाभार्थी का मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड नहीं होने जैसे ऑपशन चालू कर दिये थे और इन ऑपशनों के तहत राशन लेने वाले का मोबाईल नम्बर 9828891109 नोट कर ही राशन वितरित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि कोविड–19 महामारी में अप्रैल व मई माह में गाईडलाईन के अनुसार व मास्क लगे होने से व्यक्तिगत पहचान संभव नही थी और राशन कार्ड संख्या 006439000102 के मुखिया श्री मोमनराम पुत्र जीवनराम के साथ इस राशन कार्ड में चावली का नाम भी दर्ज था और उक्त चावली ही उक्त राशन पोस मशीन से लेकर गयी थी इसमें अपीलार्थी ने अनियमितता नहीं की है। नई गाईडलाईन के अनुसार रजिस्टर संधारण नहीं किया जाना था इस कारण पोस मशीन में ही दर्ज किया गया था, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि जहां तक मृतक राशन कार्ड में व्यक्तियों की प्रविष्टि का प्रश्न है, इसका भी कोई संबंध अपीलार्थी से नहीं हो सकता क्योंकि राशन कार्डधारी व्यक्ति के राशन कार्ड में जिन सदस्यों के नाम अंकित होते है उन सदस्यों में वे सदस्य जो आधार कार्ड से जुड़े हुए है, पोस मशीन के माध्यम से गेंहू, तेल आदि प्राप्त करने के लिए अधिकृत होते है। उस राशन कार्ड में यदि कोई व्यक्ति मृतक है तो उसके नाम को कटवाने का दायित्व राशन कार्डधारी व्यक्ति का होता है उसके लिए किसी प्रकार से अपीलार्थी पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता। आदेश 1976 के तहत राशन कार्ड राजकीय सम्पत्ति होती है और उपभोक्ता उसका मात्र धारक होता है औद यदि उसका दुरूपयोग किया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित उपभोक्ता अभियोजन का भागी हो सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी के द्वारा आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया और बिन्दुवार जवाब के सम्बन्ध में विस्तृत संतुष्टि पोस मशीन के माध्यम से हो सकती थी, जिला रसद अधिकारी के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई और जवाब प्रस्तुत न

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

होने का गलत कथन किया है। मात्र यह कथन करना कि अपीलार्थी के द्वारा किसी उपभोक्ता को पेश करना जरूरी नहीं था और न ऐसा अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था। अपीलांट ने करीब 30 शपथ पत्र उपभोक्ताओं के पेश कर दिये थे, साथ में राशन कार्ड व आधार कार्ड की नकले भी प्रस्तुत कर दी थी।

उनका आगे यह भी कथन था कि जिला रसद अधिकारी का आदेश बिल्कुल तथ्यों के विपरीत और बिना किसी जांच और पोस मशीन के माध्यम से किये गये वितरण के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं किये जाने के कारण न्याय के नैसर्गिंक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होनें के कारण निरस्त होने योग्य है। इसीप्रकार **अपीलार्थी के द्वारा आदेश 1976 एवं अनुज्ञा पत्र की किसी भी शर्त की कोई उल्लंघना नहीं की है।** इसलिए उसकी अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी के आदेश दिनांक 08.04.2022 को अपास्त किया जाकर उसका अनुज्ञापत्र संख्या 1008/2018 बहाल किये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि बलवंत राम पुत्र साहबराम, ग्राम पंचायत 11 क्यू श्रीगंगानगर कि दिनांक 20.10.2021 को ग्राम पंचायत 11 क्यू (बख्ताना) तहसील श्रीगंगानगर में आयेजित "प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021" में उपभोक्ताओं की शिकायत प्राप्त की गई थी। **मुताबिक शिकायत डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार, लडाई–झगड़े तथा राशन वितरण समुचित नहीं किया जाता है** जिसके उपरान्त डीलर का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक के लिये निलम्बित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि डीलर के विरूद्ध कार्यालय हाजा में दिनांक 30.09.2020 व तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय के समक्ष दिनांक 15.07.20, 12.10.2020, 23.10.2020 को स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत होकर लिखित शिकायत **डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

द नियमानुसार व समय पर राशन वितरण कार्य नहीं करने के लिए प्रस्तुत की हुई है। उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध प्रथम शिकायत प्राप्त नहीं हई थी, जिस पर सहानुभुतिपूर्वक विचार किया जाता। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा कोविड–19 के दौरान वर्ष 2020 में संक्रमण के प्रसार रोकने के दृष्टिगत पोस मशीन पर अंगूठा नही लगवाकर सीधे राशन वितरण करने की छूट के तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन था कि राशन कार्डधारक मोमनराम के राशनकार्ड में कुल 2 सदस्य **मोमनराम व उसकी पत्नी चावली देवी का नाम दर्ज था, मोमनराम की मृत्यु दिनांक 10.09.2013 को गयी थी जबकि चावली देवी की मृत्यु दिनांक 04.07.2018 को हो गयी थी** जबकि डीलर का राज्य सरकार द्वारा देय छूट का दुरूपयोग करते हुए वितरण दिनांक 20.05.2020, 13.05.2020, 03.04. 2020 को करना दर्शाया गया है। जब राशनकार्ड के दोनों सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी तो राशन डीलर श्री बलवंत द्वारा राशन का वितरण किसे किया गया, इसका कोई संतोषजनक प्रत्युतर उनके द्वारा नहीं किया गया जो कि उनके द्वारा की मूल अनियमितता थी, उसका कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही **डीलर को जवाब प्रस्तुत करने हेतु तारीख पेशी दिनांक 31.03.2022 दी गई जबकि वह दिनांक 29.03.2022 को ही लिखित पत्र देकर चला गया, पुनः दिनांक 31.03.2022 को पेश हो कोई भी तार्किक तथ्य अपने पक्ष में लिखित या मौखिक प्रस्तुत ही नहीं किया।** अतः राशन डीलर द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पोस संचालनात्मक प्रक्रिया के Essential Commodities Act. 1955 की धारा 3 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की धारा 10 के उपबिन्दु 1 व उपबिन्दु 4(1) व (2) राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व इस आदेश के तहत डीलर को जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 व 17(ख)(ग) का उल्लंधन्न करना पाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जाने पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेशांक दिनांक 08.04.2022 से उक्त उचित मूल्य दुकादार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, जो कि नियमानुसार किया गया है। अतः कार्यालय आदेश दिनांक 08.04.2022 को यथावत रखने की कृपा करें।

उनका आगे यह भी कथन था कि बलवंत राम पुत्र साहबराम, ग्राम पंचायत 11 क्यू, श्रीगंगानगर द्वारा अंकित किया गया है कि दिनाक 20.05.2020, 13.05.2020 0 03.04.2020 को अंकित सामग्री कार्डधारक स्व. मोमनराम की पत्नी चावली देवी लेकर गयी थी जबकि मुताबिक रिकॉर्ड चावली देवी की मृत्यु दिनांक 04.07.2018 को हो चुकी है। इस प्रकार मृत्यु हो चुका व्यक्ति राशन डीलर से राशन सामग्री किस प्रकार प्राप्त कर सकता है जबकि राशन डीलर को प्राधिकार पत्र पात्र व्यक्तियों को राज्य–सरकार के नियमानुसार राशन वितरण हेतु जारी किया हुआ है। उचित मूल्य दुकानदार के वितरण क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र में किसी प्रकार किसी भी डीलर की इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं है, डीलर के अनुसार उसके विरूद्ध जानबूझकर रंजिशवश शिकायत होती है लेकिन अन्य पंचायतों में कार्यरत डीलरों की ऐसी शिकायतें क्यों नहीं होती है। इस संबंध में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई संतोषजनक प्रत्युतर नहीं किया जाता है। तहसील क्षेत्र श्रीगंगानगर में प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 के आयोजित कैंप में केवल इसी उचित मूल्य दुकानदार बलवंत पुत्र साहबराम के विरूद्ध कैम्प प्रभारी को शिकायत प्राप्त हुई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में समय–समय पर उचित मूल्य दुकानदारों को उनके क्षेत्र में एन.एफ.एस.ए. के सम्बन्ध में सूचना ली जाकर उनको डीलीट करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा संपादित की जाती रही है। अतः उचित मूल्य दुकानदार का यह दायित्व था कि वह उक्त राशनकार्ड में मृत्यु वर्ष 2013 व दूसरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

की 2018 में हो चुकी है तथा राशन का वितरण 2020 में हुआ है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की कोई भूमिका जाहिर ही नही होती है तथा राशन वितरण पोस मशीन से हुआ है, जिसका संचालन की राशन डीलर द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि राशन डीलर द्वारा स्वयं के स्तर पर अथवा मिलीभगत करके राशनकार्ड पर राशन सामग्री का उठाव करके दुरूपयोग किया गया है जिसके लिये उसके विरूद्ध 1140/— रूपये की रिकवरी निकाली गयी है जो कि उसके द्वारा अभी तक जमा नहीं करवायी गयी है, इसके साथ ही डीलर द्वारा आदेश 1976 के राशन वितरण हेतु जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का भी स्पष्ट उल्लघन किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बलवंत राम पुत्र साहबराम, ग्राम पंचायत 11 क्यू, श्रीगंगानगर को विभागीय प्रकरण 48/2021 में नोटिस जारी करके जवाब मांगा कि "राशनकार्ड 0064390000102 के मुखिया मोमनराम पुत्र जीवनराम की मृत्यु दिनांक 10.09.2013 को हो गई थी परन्तु आपकी पोस मशीन 30842 से उक्त राशनकार्ड पर दिनांक 20.02.2020 को 10 कि.ग्रा. अति. गेहूँ व 13.05.2020 को 10 किग्रा. अति. गेहू व 13.05.2020 को 1.00 किग्रा. दाल व 13.05.2020 को 10 किग्रा गेहूँ व 03.04.2020 कारो 10.00 किग्रा गेहूँ इस प्रकार कुजल 40.00 किग्रा गेहूं व 1.00 किलो दाल का वितरण करना दर्शाया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्री बलवंत पुत्र साहबराम को जारी नोटिस में स्पष्ट तथ्य अंकित किये गये है जिनका स्पष्ट प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु डीलर को पर्याप्त अवसर दिया गया प[illegible] के द्वारा नियत दिनांक 31.03.2022 से पूर्व दिनांक 29.03.202[illegible] उसकी उक्त अनियतता जिसमें की राशनकार्ड के दोनो उपभोक्ताओं की वर्ष 2018 से पूर्व मृत्यु होने के उपरान्त वर्ष 2020 में राशन वितरण के संबंध में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर उसको राहत प्रदान की जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि बलवंत राम पुत्र साहबराम ग्राम पंचायत 11 क्यू श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पोस संचालनात्मक प्रक्रिया व (1) The Essential Commodities Act. 1955 की धारा 3 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की धारा 10 के उपबिन्दु 1 व उपबिन्द1 4(i) व (2) राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व इस आदेश के तहत डीलर को जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 व 17(ख)(ग) का उल्लंधन्न करने के कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर की अधिसूचना एफ17(45)एफएस/लीगल/76–।।। (एस.ओ. 162) दिनांक 17.01.12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री बलवंत राम पुत्र साहब राम को राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 08.04'.2022 को निरस्त किया गया जो कि निमयमानुसार है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्री बलवंतराम पुत्र साहबराम, ग्राम पंचायत 11 क्यू श्रीगंगानगर द्वारा अनियमित वितरित/खर्द–बुर्द/गबन राशन सामग्री यथा 40.00 किग्र. गेहू के पेटे (27.00 रू. प्रति किग्रा अनुसार) रू. 1080/– रूपये व 1.00 किग्रा दाल पेटे (60 रू. प्रति किग्रा अनुसार) 60.00 रू. इस प्रकार कुल राशि 1140/– रू. (एक हजार एक सौ चालीस रूपये) रिकवरी निकाली गई है। अतः डीलर द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज करके जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.04.2022 को यथावत् रखने [illegible] की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

मैनें उक्त तर्कों [illegible] का अवलोकन किया तो पाया कि **कि** अपीलार्थी उचित मूल्य दुका[illegible] पोस मशीन 30842, ग्राम पंचायत 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है। जिला रसद अधिकाशी, श्रीगंगानगर के द्वारा प्रशासन गांवों के संग

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अनियान–2021 में प्रस्तुत शिकायत पर क्रमांक 5996–6000 दिनांक 20.10.2021 से उनका प्राधिकार दिनांक 08.04.2022 को रद्द किया गया है क्योंकि राशन कार्ड संख्या 006439000102 के मुखिया मोमनराम की मृत्यु दिनांक 10.09.2013 को होने और पोस मशीन 30842 से उक्त राशनकार्ड पर दिनांक 20.02.2020 को 10 किलो अतिरिक्त गेंहू दिनांक 13.05.2020 को 10 किलो अतिरिक्त गेंहू व 1 किलो दाल दिनांक 13.05.2020 व दिनांक 03.04.2020 को 10 किलो गेहूं , इस प्रकार कुल 40 किलो गेंहू व 1 किलो दाल का वितरण किया गया है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील के पैरा संख्या 2 के अंत कें अंकित किया है कि राशन कार्ड संख्या 006439000102 के मुखिया मोमनराम पुत्र जीवन राम के साथ इस राशन कार्ड में चावली का नाम भी दर्ज था और उक्त चावली ही उक्त राशन पोस मशीन से लेकर गयी थी, कतई स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 31.05.2022 के अनुसार चावली की मृत्यु दिनांक 04.07.2018 हो चुकी है।

चावली पत्नी मोमनराम जीवित है अथवा नहीं इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 तक उनके पास उपलब्ध होना प्रतीत नहीं होती है क्योंकि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर अपने पत्र 2399 दिनांक 26.05.2022 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर से चावली पत्नी मोमनराम के जीवित होने अथवा न होने की सूचना चाहे जाने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 683 दिनांक 31.05.2022 से जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को चावली पत्नी मोमनराम की मृत्यु दिनांक 04.07.2018 हो चुकी है , की सूचना उपलब्ध करवाई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि राशन कार्ड संख्या 006439000102 मुखिया मोमनराम पुत्र जीवन राम के राशनकार्ड से दिनांक 20.02.2020 को उनकी पोस मशीन संख्या 30842 से कोई लेन देन नहीं किया गया, सही प्रतीत होता है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार उक्त राशनकार्ड से दिनांक 20.05.2020, 13.05.2020, 13.05.2020 एवं 13.04.2020 को गेहू का एवं दिनांक 13.05.2020 को ही दाल का वितरण किया जाना प्रतीत होता है तथा दिनांक 20.02.2020 को उक्त पोस मशीन संख्या 30842 से उक्त राशनकार्ड से कोई लेन देन होना प्रतीत नहीं होता है।

शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6( )खावि/कम्प्यूटर/पोओएस–पार्ट–1/2018–19 जयपुर दिनांक 18.03.2020 के बिन्दु संख्या 3 में निम्नानुसार अंकित किया गया है:

> (3) यदि लाभार्थी डीलर को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है, तो डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपलब्ध करवाये गये निम्न कारणों में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण पोस मशीन से किया जायेगा तथा ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्टी कारण सहित एक रजिस्टर में की जावेगी।
>
> (i) ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ।
>
> (ii) मोबाईल नंबर रजिस्टर नही हैं
>
> (iii) लाभार्थी के पास मो[illegible]ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अ[illegible] **अंकित किया गया** है कि ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ से उपभोक्ता [illegible] राशन दिया गया व उसका मोबाईल नम्बर नोट कर लिया गया था, जो सही प्रतीत होता है। साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा समय समय पर अपात्र परिवार

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तथा मृत, सरकारी तथा सेवानिवृत कर्मचारियों को उक्त योजना की पात्रता सूचियों से निष्कासित करने के लिए जिला रसद अधिकारी को समय समय पर निर्देशित किया जाता है तथा भौतिक सत्यापन भी करवाया जाता है किन्तु उक्त मोमन राम जिसकी मृत्यु वर्ष 2013 में हो जाने के पश्चात भी 2020 तक उसका नाम राशनकार्ड से नहीं हटाया गया है उसके लिए प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एवं विभाग दोनों की ही लापरवाही दर्शित होती है।

अपीलार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि लगभग 150 दिनों के पश्चात भी उसका प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया गया है जबकि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2022 के प्रथम पैरा–1 में अंकित किया है कि उनके आदेश 5996–6000 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया था तथा जिसे दिनांक 08.04.2022 को रद्द किया गया है जिसके सम्बन्ध में उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपरु के पत्रांक एफ17(45)खा.वि./न्याय/76 जयपुर दिनांक 22.11.2017 में निम्नानुसार आदेश दिये गये है :

> राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित दरों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र गृहस्थी, राशनकार्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न, चीनी, केरोसीन आदि वस्तुएं, सहजता, पारदर्शिता एवं सामयिक रूप से प्रतिमाह उपलब्ध कराने की दृष्टि से [illegible] में संलग्न उचित मूल्य दुकानदार एवं [illegible] का उठाव एवं वितरण निर्धारित समयावधि में [illegible] जाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली , आदेश 2015

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जारी किये गये है, जो राज्य में प्रभावी है। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण कास विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त सभी आदेशों के प्रावधानों की सम्यक पालना सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जा रहे है:

1. राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड–8 एवं 9 के अन्तर्गत अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान या उनकी प्रत्याशा में ऐसे प्रकरणों में खण्ड–8(II) के अन्तर्गत अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, मे प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि प्राधिकार पत्र धारक के प्राधिकार पत्र निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात बहाल माना जावेगा एवं प्राधिकार पत्र धारक नियमानुसार कार्य कर सकेगा।

.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेशो के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकेगा परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिवस अथवा प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा तथा यदि प्राधिकार पत्र धारा के प्राधिकार पत्र निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात बहाल माना जावेगा।

अतः उक्त आदेशों एवं कोरोना वायरस की परिस्थितियों के मध्यनज़र बलवन्त पुत्र साहबराम की पोस मशीन संख्या 30842 का अनुज्ञा पत्र संख्या 1008/2018 बहाल किया जाना उचित प्रतीत होता है किन्तु उक्त राशन सामग्री 40 किग्रा गेहूं एवं 1 किलो दाल की राज्य सरकार को नुकसान हुआ है जिसकी भुगतान राशि 1140 रू. (एक हजार एक सौ चालीस रू) मय नियमानुसार ब्याज श्री बलवंत से वसूल करने के आदेश दिये जाते है साथ ही अपीलार्थी श्री बलवंत पुत्र साहबराम को निर्देशित किया जाता है कि वह उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार, लडाई—झगडे न करें तथा उपभोक्ताओं को समय पर एवं समुचित राशन वितरण करें।

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। **बलवन्त पुत्र साहबराम द्वारा उक्त राशि 1140/— मय ब्याज का भुगतान किये जाने के पश्चात पोस मशीन संख्या 30842 का अनुज्ञा पत्र संख्या 1008/2018 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि 1140/— मय ब्याज नियमानुसार राजकोष में जमा हो।** आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला र[illegible] पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 07.0[illegible]2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर